

कार्यालय- मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, चित्तौड़गढ़ (राज.)

क्रमांक :- स्टेनो / 2026 / 508

दिनांक :- 03/10/2026

आदेश :-

मैं, पंकज कुमार काबरा, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, चित्तौड़गढ़ प्रशासनिक कारणों से इस कार्यालय के पूर्व आदेश क्रमांक 491 दिनांक 30.09.2026 में आंशिक संशोधन करते हुए श्रीमान् जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, चित्तौड़गढ़ से अनुमोदन के पश्चात भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 13(2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए माह बमाह अक्टूबर 2026 व नवम्बर 2026 के राजकीय अवकाशों एवं घोषित अवकाशों के लिये न्यायिक/पुलिस अभिरक्षा संबंधित रिमाण्ड व जमानत संबंधित कार्य धारा 183 बी.एन.एस.एस. के बयान, मृत्यु कालिक कथन, धारा 52ए एन.डी.पी.एस. एक्ट के तहत इन्वेन्ट्री कार्यवाही व अन्य आवश्यक फौजदारी कार्य एवं प्रोटोकॉल संबंधी कार्य के संबंध में कार्यवाही करने हेतु निम्न अधिकारियों को पाबंद व अधिकृत करता हूं। रिमाण्ड ड्यूटी अवकाश के एक दिन पूर्व कार्यालय समय पश्चात् से आगामी कार्य दिवस के कार्यालय समय पूर्व तक रिमाण्ड ड्यूटी प्रभावी रहेगी। शेष आदेश यथावत् रहेगा :-

माह अक्टूबर व नवम्बर, 2026

चित्तौड़गढ़ न्यायक्षेत्र के समस्त न्यायालयों हेतु :-

क्र.सं.	दिनांक	नाम अधिकारी
1	10 अक्टूबर, 2026	श्री राजेश बजाद, अति. सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, चित्तौड़गढ़, मो. 8619027293
2	20, 21, 22 अक्टूबर, 2026	श्री अंशुमान सिंह खंगारोत, ए.सी.जे.एम. संख्या 01, चित्तौड़गढ़, मो. 9461973839
3	7, 8, 9 नवम्बर, 2026	सुश्री तमन्ना कुमारी, सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, चित्तौड़गढ़, मो. 9587825626
4	10, 11, 12 नवम्बर, 2026	श्री राजेश बजाद, अति. सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, चित्तौड़गढ़, मो. 8619027293
5	29 नवम्बर, 2026	सुश्री तमन्ना कुमारी, सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, चित्तौड़गढ़, मो. 9587825626

नोट:-

01. रिमाण्ड ड्यूटी के दिन संबंधित अधिकारी स्वयं के न्यायालय में समय सुबह 10 ए.एम. से 01 पी.एम. तक उपस्थित रह कर रिमाण्ड ड्यूटी करेंगे एवं आवश्यकतानुसार कर्मचारीगण को पाबंद कर सकेंगे।

02. रिमाण्ड ड्यूटी प्रत्येक राजपत्रित अवकाश की तिथि के पूर्व कार्य दिवस के कार्यालय समय पश्चात से राजपत्रित अवकाश के अग्रिम कार्य दिवस के कार्यालय समय पूर्व तक रहेगी तथा इस अवधि में राज्य अथवा राज्य के बाहर से चित्तौड़गढ़ पधारने वाले माननीय न्यायाधिपतिगण के चित्तौड़गढ़ प्रवास पर उनके आगमन, प्रवास एवं प्रस्थान के दौरान उनके पद एवं गरिमा के अनुरूप एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक 06/पीआई/2008 दिनांक 29.07.08 के निर्देशानुसार प्रोटोकॉल ड्यूटी भी उक्त अधिकारी करेंगे।

03. किसी भी रिमाण्ड ड्यूटी के आगामी दिवस पर अवकाश होने की दशा में उक्त घोषित अवकाश की रिमाण्ड ड्यूटी का संपादन भी उक्त दिवस से पूर्व दिवस पर रिमाण्ड ड्यूटी संपादित किये जाने वाले अधिकारी द्वारा ही किया जावेगा।

04. तारांकित अवकाश के परिवर्तित होने की स्थिति में ड्यूटी परिवर्तित अवकाश के लिए मान्य होगी।

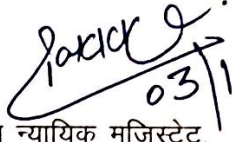
05. राजकीय अवकाश के दिन आवश्यक फौजदारी कार्य (रिमाण्ड ड्यूटी) हेतु अधिकृत अधिकारी के न्यायालय में बैठने के समय के अतिरिक्त रिमाण्ड ड्यूटी से पूर्वगामी कार्य दिवस के कार्यालय समय समाप्त होने के पश्चात से उक्त रिमाण्ड ड्यूटी दिनांक को शेष समय एवं आगामी कार्य दिवस के कार्यालय समय प्रारंभ होने तक उक्त आवश्यक फौजदारी कार्य का सम्पादन उसी अधिकृत अधिकारी द्वारा किया जावेगा।

06. किसी रिमाण्ड ड्यूटी अधिकारी के विशिष्ट परिस्थितियों में नियत रिमाण्ड ड्यूटी दिवस पर ड्यूटी नहीं कर सकने की दशा में वह किसी अन्य न्यायिक अधिकारी से संपर्क कर उक्त नियत रिमाण्ड ड्यूटी के निर्वहन किये जाने का सामंजस्य करने के उपरांत अन्य अधिकारी के द्वारा

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
चित्तौड़गढ़ (राज.)

ड्यूटी करने की लिखित सहमति देने पर ही ड्यूटी बदलवाई जा सकेगी।

07. विशिष्ट परिस्थितियों में इस कार्यालय के संबंधित आफिसियल नंबर 8003395840 पर संपर्क कर सकते हैं।


03/10/2026
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
चित्तौड़गढ़

क्रमांक : स्टेनो / 2026 / 509—

दिनांक :- 03/10/2026

1. श्रीमान जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय चित्तौड़गढ़
2. श्रीमान अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय सं. 1 चित्तौड़गढ़
3. समस्त न्यायालय चित्तौड़गढ़ न्यायक्षेत्र, जरिये मेल
4. पुलिस अधीक्षक, चित्तौड़गढ़, जरिये मेल. (सभी थानों को प्रसारित करने हेतु)
5. सहायक निदेशक अभियोजन, चित्तौड़गढ़, जरिये मेल
6. जिला आबकारी अधिकारी चित्तौड़गढ़, जरिये मेल
7. अधीक्षक, जिला जेल चित्तौड़गढ़, जरिये मेल
8. प्रोटोकाल एवं प्रशासनिक अधिकारी, जिला न्यायालय, चित्तौड़गढ़
9. सिस्टम ऑफिसर, जिला न्यायलय, चित्तौड़गढ़।


03/10/2026
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
चित्तौड़गढ़